



मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,  
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक: 1052

दिनांक: 3-4-13

समस्त जिला कलेक्टर  
समस्त संयुक्त निदेशक जोन  
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी  
राजस्थान,

विषय:- मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना के अन्तर्गत सेवाओं की बैकअप एवं वैकल्पिक व्यवस्था (Backup and Alternative Arrangements) तथा मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) मय टीम उपलब्ध कराने बाबत।

मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना के अन्तर्गत वैकल्पिक एवं बैकअप व्यवस्था हेतु निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

1. उपकरणों की वैकल्पिक एवं बैकअप व्यवस्था हेतु अस्पताल में अतिरिक्त उपकरण पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार उपलब्ध रखे जाए।
2. निकटस्थ संस्थानों पर उपलब्ध अतिरिक्त उपकरणों की पहचान कर सूची बना ले जहाँ से आवश्यकता होने पर उपकरणों को स्थानान्तरित किया जा सके तथा उस संस्था के प्रभारी तथा संबंधित व्यक्ति के नाम एवं मोबाइल नम्बर की सूची बना ले जिससे ब्रेकडाउन की स्थिति में वहाँ से उपकरणों को स्थानान्तरित किया जा सके।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, पैथोलोजी प्रभारी, रेडियोलोजी प्रभारी, समन्वय बनाकर उपकरणों की ब्रेकडाउन की स्थिति से निपटने के लिये उपकरण को सप्लाई/रिपेयर करने वाली सम्बन्धित फर्म तथा इसके स्थानीय प्रतिनिधि का मोबाइल नम्बर एवं नाम-पता सूचीबद्ध करके रखेंगे तथा तुरन्त बुलाकर मरम्मत की व्यवस्था करवायें।
4. लेबोरेट्री जाँच हेतु उपरोक्त व्यवस्था नहीं होने पर एकत्रित नमूनों (Samples) को निकटतम जिला चिकित्सालय के अधीन अन्य राजकीय चिकित्सा संस्थानों में भेजकर जाँच कराकर रिपोर्ट स्वयं के संस्थान से ही मरीज को उपलब्ध करायें।
5. रेडियोलॉजी जाँच हेतु अस्पतालों की बेस ऐम्बुलेंस एवं MMU से यू.एस.जी एवं एक्स-रे की जाँच हेतु आवश्यकता पड़ने पर मरीजों के परिवहन की व्यवस्था निकटतम जिला चिकित्सालय के अधीन अन्य राजकीय चिकित्सा संस्थान में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी / उपनियन्त्रक द्वारा की जानी है। इस हेतु सभी संबंधित व्यक्तियों के मोबाइल नम्बर को सूचीबद्ध करके रखें।
6. एन.आर.एच.एम के अन्तर्गत जिलों में कार्यरत मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) मय टीम को अपने क्षेत्र के जिला/उपजिला/सैटेलाइट चिकित्सालयों में 1 दिवस पूर्व दिनांक 06.04.13 को तैनात करके अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें। MMU मय टीम दिनांक 07.04.13 से 20.04.13 तक प्रयोगशाला एवं एक्स-रे विभाग को सहयोग करेंगी एवं सर्विस ब्रेकडाउन की स्थिति में जाँच सेवायें भी उपलब्ध करवायेंगी।

मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना एक महत्वपूर्ण योजना हैं, इसकी गुणवत्तापूर्ण सर्विस डिलिवरी किया जाना सुनिश्चित करें। इसकी क्रियान्विति में किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर संबंधित के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

ई-मेल:-rmsc.mnjj@gmail.com

प्रमुख शासन सचिव  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: आरएमएससी/एमएनजेवाई/13/

दिनांक :

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चि0स्वा0 एवं प0क0 विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चि0स्वा0 एवं प0क0 एवं मिशन निदेशक एन.आर.एच.एम.
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल. जयपुर।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय वेब साइट पर अपलोड करावे एवं समस्त को ई-मेल करावे।
7. रक्षित पत्रावली।